तृतीय सेमेस्टर 2014 – 15

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

एल.एल.बी तृतीय सेमेस्टर

प्रथम प्रश्न पत्र 2015

विधि शास्त्र और तुलनात्मक विधि

JURISPRUDENCE & COMPARATIVE LAW

नोट: किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है।

Note: Attempt any five questions. All question carry equal marks.

प्र.1 विधिशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा उसकी विभिन्न शाखाओं का महत्त्व समझाइए। http://www.davvonline.com

Define Jurisprudence and explain significance of its various schools.

प्र.2 समाजशास्त्रीय शाखा के विधिशस्त्रियों द्वारा दी गयी विधि की परिभाषा की विवेचना कीजिए।

Discuss the definition of law given by the Jurists of sociological schools.

प्र.3 ब्रिटेन, संयुक्त राज्य एवं भारतीय संविधान के अन्तर्गत प्रभुसत्ता का परीक्षण कीजिए।

Examine the sovereignty in Britain, United States and under Indian Constitution.

प्र.4 इंग्लैण्ड के कॉमन लॉ का संक्षिप्त इतिहास एवं उसका क्षेत्र बताइए।

Give the brief history and scope of common of England.

प्र.5 विधि स्त्रोत के रुप में विधायन का वर्णन कीजिए। भारतीय विधि प्रणाली के विकास में विधायन का क्या योगदान है?

Describe legislation as a source of law What role has the legislation played in the development of Indian Legal System

प्र.6 ''विधिक अधिकार एक हित है जो कि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त एवं संरक्षित है।'' विवेचना कीजिए।

"A legal right is an interest which is recognised and protected by Law" Discuss. http://www.davvonline.com

प्र.7 अधिपत्य एवं स्वामित्व संबंध की विवचेना कीजिए तथा दोनों में अंतर बतालाइए।

Discuss the relationship between possession and ownership and pointout the difference between them.

प्र.8 न्याय के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। क्या अंतर व्यवहार (सिविल) न्याय एवं आपराधिक न्याय के सिद्धान्त में अंतर हैं?

Discuss the theory of Justice. Is there any difference in civil Justice and criminal Justice?

प्र.9 भारत के अद्यतन विकास के संदर्भ में विधि एवं समाज की भूमिका की चर्चा कीजिए।

State the role of law and society in reference to recent development of India.

प्र.10 ''तुलनात्मक विधि एक विषय नहीं हैं, परन्तु केवल अध्ययन की एक पद्धति (तरीका) है।'' समालोचना कीजिए।

"Comparativ Law is not a subject but merely a method of study" Comment.